कार्यालय : प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी।

फोन/फैक्स : 01376–232077,
ई:मेल :
dfotehri_ua@rediffmail.com

पत्रांक : 3454/12–1 नई टिहरी, दिनांक– 6/6/2023

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0,
घनसाली, मु0–घुमेटीधार।

विषयः– जनपद–टिहरी गढवाल के विकासखण्ड भिलंगना में मूलगढ़ ठेला गण्डराखाल मोटर मार्ग का भेलगढ़ी से पांडवगांव तक विस्तार कार्य के निर्माण हेतु 4.447 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
(ऑनलाईन प्रस्ताव सं0–FP/UK/ROAD/49512/2020)

सन्दर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–केन्द्रीय क्षेत्र) देहरादून का पत्र सं0– 08बी/यू0सी0पी0/06/69/2021 /एफ0सी0 /1820, दिनांकः–16–03–2023 एवं नोडल कार्यालय का पत्रांक– 2343/ FP/UK/ROAD/49512/2020, दिनांक– 10.04.2023।

महोदय,

जनपद–टिहरी गढवाल के विकासखण्ड भिलंगना में मूलगढ़ ठेला गण्डराखाल मोटर मार्ग का भेलगढ़ी से पांडवगांव तक विस्तार कार्य के निर्माण हेतु 4.447 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा उपरोक्त सन्दर्भित पत्र से कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निम्न प्रकार अनुपालन प्रस्तुत किया जायेगा:–

1– शर्त सं0–01 के अनुसार वन भूमि की विधिक परिस्थित नही बदली जाएगी।

2– शर्त सं0–02 के अनुपालन में परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।

3– शर्त सं0–03–प्रतिपूरक वनीकरण :–

क) प्रयोक्ता अभिकरण 8.894 है0 सिविल सोयम भूमि पुंडोली खसरा नं0–1, 38, 101, 146, 148, 157, 199, 267, 594, 904, 1189, 1221 तथा 3.0 हे0 अवनत वन भूमि मल्याकोट कक्ष सं0– 4ब में प्रतिपूरक वनीकरण एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) मु0–39,91,547.00 (उनतालीस लाख इक्यानबे हजार पॉच सौ सैंतालीस रूपये मात्र) जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु धनराशि की मांग का विस्तृत आंकलन निम्न प्रकार है:–

① प्रतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि के मांग का आंकलन

1. प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र – 8.894 है0
2. वर्ष 2023–24 हेतु निर्धारित दर प्रति है0 – 4,48,791.00
3. प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु कुल धनराशि की मांग– 8.894है0X 4,48,791.00= 39,91,547.15 या 39,91,547.00

(उनतालीस लाख इक्यानबे हजार पॉच सौ सैंतालीस रूपये मात्र)

ख) प्रतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित गैर वानिकी भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जाएगा। भूमि का हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात ही भारत सरकार द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। Guideline के para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं, को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है। उक्त भूमि को कब्जे में लिए जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी का भूमि को कब्जे में लिये जाने का प्रमाण--पत्र अमल–दरामद मय नक्शा, खसरें के प्रस्तुत करना होगा।

ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नही किया गया है।

घ) प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य, प्रस्तावित कैंचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू0एल0एम.पी0 क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करनें से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

ड.) रोपण के समय कम से कम 50 प्रतिशत 'ओक'प्रजाति के वृक्षों का वृक्षारोपण किया जायेगा।

Attested

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0
घनसाली (टि0 ग0)

क्रमशः – 1/2

4— शर्त सं0—04— प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।

5— शर्त सं0—05—शुद्ध वर्तमान मूल्यः—

(क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्याः 202/1995 में IA नम्बर 556, दिनांकः—30—10—2002, 01—08—2003, 28—03—2008, 24—04—2008 एवं 09—05—2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5—1/1998—एफ0सी0 (Pt.2), दिनांकः—18—09—2003, 5—2/2006—एफ0सी0, दिनांकः—03—10—2006, 5—3/2007—एफ0सी0, दिनांकः—05—02—2009 एवं 5—3/2011—एफ0सी0, दिनांकः—06—01—2022 (Vol-I) में जारी दिशा—निर्देशानुसार मु0—44,70,169.00 (चौवालीस लाख सत्तर हजार एक सौ उनहत्तर रूपये मात्र) की धनराशि 4.447 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) जमा करना होगा। शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धराशि की मांग का आंकलन निम्नप्रकार हैः—

<u>शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि का आंकलन</u>

1. ईको—क्लास श्रेणी — V
2. हरियाली का घनत्व— 0.2
3. एन0पी0वी0 की दर प्रति है0 रूपये— 10,05,210.00 (दस लाख पांच हजार दो सौ दस रूपये मात्र)
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल — 4.447 है0
5. कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि—4.447है0X10,05,210.00=44,70,168.87 या 44,70,169.00

(चौवालीस लाख सत्तर हजार एक सौ उनहत्तर रूपये मात्र)

(ख) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को जमा करना होगा, इस आशय का शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा।

6— शर्त सं0—06 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में वृक्षों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 274 वृक्षों एवं 163 saplings से अधिक नही होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेडों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।

7— शर्त सं0—07 के अनुपालन में परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई—पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।

8— शर्त सं0—08 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कडाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नही की जाएगी।

9— शर्त सं0—9 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

10— शर्त सं0—10 के अनुपालन में नवीनतम वन (संरक्षण) नियम 28.06.2022 के अनुसार, पांचवें वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (**mature plantation**) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।

11— शर्त सं0—11 के अनुपालन में वन मंडल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना किसी सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नही बदलेंगे।

12— शर्त सं0—12 के अनुपालन में नोडल अधिकारी, **State CAMPA** यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध करवायेगें।

13— शर्त सं0—13 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदडों के अनुसार सडक के दोनो किनारो पर पौंधो की संख्या बढाएगा।

14— शर्त सं0—14 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सडक के साथ गति विनियम साइनेज लगाए जाएंगे।

15— शर्त सं0—15 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।

16— शर्त सं0—16 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले—आउट प्लान नही बदला जाएगा।

17— शर्त सं0—17 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जाएगा।

Attested

अधिशासी अभियन्ता, लो0 नि0 वि0, घनसाली (टि0 ग0)

क्रमशः — — 3

18– शर्त सं0–18 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकडी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।

19– शर्त सं0–19 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशनुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हों।

20– शर्त सं0–20 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जाएगा।

21– शर्त सं0–21 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जाएगा।

22– शर्त सं0–22 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।

23– शर्त सं0–23 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या–11–42/2017–एफ0सी0 दिनांक–29–01–2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।

24– शर्त सं0–24 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी।

25– शर्त सं0–25 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्वविर्दिष्ट स्थलो पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारे बनाई जायेगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नही होगी।

26– शर्त सं0–26 के अनुपालन में प्रयाक्ता अभिकरण द्वारा यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश/आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं। तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

27– शर्त सं0–27 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जाएगी।

अतः भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित सभी शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या हार्ड कापी चार प्रतियों में मय संलग्नक इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए ऑन लाईन अपलोड करने का कष्ट करें।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी।

संख्या : / तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून को आपके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी।

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो० नि० वि०
प्रतापनगर (टि० ग०)